

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:-एफ 1(1)(3) आप्रसआ/सामान्य/2002/ 2280-85 जयपुर, दिनांक 23.2.11

आदेश

निर्देशानुसार संवत् 2067 में चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य स्तरीय चारा व्यवस्था टास्क फोर्स का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि              | अध्यक्ष    |
| 2. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता | सदस्य      |
| 3. आयुक्त, कृषि                        | सदस्य      |
| 4. निदेशक, पशुपालन                     | सदस्य सचिव |

यह टास्क फोर्स चारे की व्यवस्था की समीक्षा कर निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेगी:-

1. अन्य राज्यों एवं राजस्थान के जिलों में चारे की उपलब्धता के बारे में आंकलन करना ।
2. चारों की व्यवस्था के लिए योजना बाबत ।
3. चारे के अभाव व आवश्यकता का आंकलन कर पूर्ति हेतु निर्देश देना ।
4. समय समय पर चारे के मूल्यों की दरों की समीक्षा करना ।
5. समय पर भुगतान को सुनिश्चित करना तथा इस सम्बन्ध में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना ।
6. गैर सरकारी/स्वयं सेवी संगठनों से योगदान प्राप्त करने हेतु समुचित उपाय व प्रबन्धन करना ।

इस टास्क फोर्स की बैठक हर पखवाडे की निश्चित दिनांक को या आवश्यकतानुसार होगी ।

23.2.11  
शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय
2. उप सचिव (जे) मुख्य मंत्री सचिवालय
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
6. निजी सहायक, आयुक्त, कृषि

शासन उप सचिव